

409/L

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2240]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2013/आश्विन 3, 1935

No. 2240]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2013/ASVINA 3, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2013

का.आ.2912 (अ).— दिनांक 10 मई 2013 के का.आ.सं. 1199 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :

पैरा		दिल्ली मुख्य योजना-2021			
		मौजूदा प्रावधान		प्रस्तावित संशोधन/आशोधन	
1		2		3	
		फार्म हाऊस		कम घनत्व	
4.4.3 (जी)	(vi)	अनुमेय मुख्य रिहायशी एककों की संख्या	— अनुमेय एफएआर द्वारा नियंत्रित की जाने वाली एककों की संख्या — अनुमेय एफएआर के अतिरिक्त 60 वर्ग मीटर प्रति एकड़ की ईडब्ल्यूएस एकक	(vi)	अनुमेय मुख्य रिहायशी एककों की संख्या
					— एक एकड़ (0.40 हेक्टेयर) के एलडीआरए भूखंड पर 20 एफएआर तक दो रिहायशी एकक अनुमत की जा सकती हैं तथा 10 अतिरिक्त एफएआर अर्थात् 20 से 30 तक एक अतिरिक्त रिहायशी एकक अनुमत है बशर्ते कि भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित और अधिसूचित अपेक्षित प्रभागों का भुगतान किया गया हो। — अनुमेय एफएआर के अतिरिक्त 60 वर्ग मीटर प्रति एकड़ की ईडब्ल्यूएस एकक।

[फा.सं. के-12016/3/2008-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

4/29 9/2013

(1)



408/L

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2013

S.O. 2912(E).—In partial modification to S.O. No. 1199 (E) dated 10th May, 2013 following modifications are made:

Para	MPD-2021			
	Existing provisions		Proposed amendments/modifications	
1	2		3	
	Farm House		Low density	
4.4.3(G)	(vi) No. of main dwelling units permitted	<ul style="list-style-type: none"> - No. of units to be restricted by the FAR permissible. - EWS units of 60 sqm per acre in addition to permitted FAR. 	(vi) No. of dwelling permitted	<ul style="list-style-type: none"> - Two Dwelling Units on LDRA plot of one acre (0.40 ha.) may be permitted with FAR of 20 and for additional 10 FAR i.e. from 20 to 30 one additional Dwelling Unit is allowed subject to payment of requisite charges as approved and notified by the Government of India. - EWS units of 60 sqm per acre in addition to permitted FAR.

[F. No. K-12016/3/2008-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.